राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(198)परि / नियम / मु. / 2010 / 8335 जयपुर, दिनांकः 09/06/2020

कार्यालय आदेश 14 / 2020

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 35 में व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने एवं नवीनीकरण के संबंध में प्रावधान किए गये है। नियम 35 के प्रावधानानुसार रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी प्रत्येक प्रमाण पत्र के बाबत् व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित करेगा जिसमें प्रत्येक यान के लिए अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (6) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण चिन्ह और दो अक्षर तथा तीन संख्याओं से अनधिक का एक संख्याक होगा, जैसेः–

क ख– राज्य कोड को प्रकट करता है।

12– रजिस्ट्रीकरण जिला कोड

TC 1–यान के लिए व्यवसाय प्रमाण पत्र

वर्तमान में राजस्थान राज्य में व्यवसाय प्रमाण पत्र TC सीरीज में जारी किये जा रहे है। मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने की TC सीरीज का पूर्ण उपयोग हो जाने के कारण प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर कार्यालय में वाहन सॉफ्टवेयर पर व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। भविष्य में जोधपुर तथा अन्य बडे परिवहन कार्यालयों में भी डीलर्स की संख्या अधिक होने से इसी प्रकार की समस्या आने की संभावना है।

उक्त समस्या के दीर्घकालिक समाधान हेतु पूर्व में जारी कार्यालय आदेश 02 / 2015 दिनांक 16.02.2015 (संलग्न) में संशोधन करते हुए आदेश के साथ संलग्न श्रेणी वार वाहनों की सीरीज की तालिका के बिन्दु संख्या 4 यथा ''विभिन्न परिवहन श्रेणी के वाहनों हेतु दिनांक 01.04.2005 से प्रभावी सीरीज'' के प्रथम कॉलम मे अंकित टैक्सी यानों की निर्धारित सीरीज में से TX, TY एवं TZ सीरीज को व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आरक्षित किया जाता हैं। समस्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में TX, TY एवं TZ सीरीज को टैक्सी यानों की जगह व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु उपयोग में लिया जाना सुनिश्चित करें।

इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है कि व्यवसाय प्रमाण पत्र की वर्तमान में चालू TC सीरीज का पूर्ण उपयोग कर लिए जाने के पश्चात् क्रमशः TX ,TY एवं TZ सीरीज में व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी किया जावें।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त

Scanned by CamScanner

क्रमांक प.7(198)परि/नियम/मु./2010/8336-41 जयपुर, दिनांकः 09/06/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

Scanned by CamScanner